# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 68/2018

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 खीमसिंह 2 कानसिंह पिसरान बींजराजसिंह जाति राजपूत निवासी डीगडा बस्ती गादान बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 ईश्वरसिंह पुत्र बींजराजसिंह 2 देसकंवर पत्नी बींजराजसिंह जाति राजपूत निवासी डीगडा बस्ती गादान बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री सम्पत बोथरा, वकील वादी पक्ष।
2. श्री महेश कुमार सोनी, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

## निर्णय

दिनांक 06/01/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर गादान के खसरा संख्या 2200 रकबा 15.04 बीघा एवं खसरा संख्या 2199 रकबा 0.03 बीघा आए हुए है। उक्त भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय बींजराजसिंह द्वारा दिनांक 17.06.1978 को तात्कालीक खातेदार भारमल, दामोदर वगैराह से जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रमांक 719/78 के क्रय की थी, जिसका पंजीयन दिनांक 29.07.1978 को किया गया। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1036 दिनांक 04.08.1978 अशुद्ध रूप से स्वीकृत किया गया। विक्रय विलेख मात्र बींजराजसिंह के नाम निस्पादित किया गया था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भूलवश बींजराजसिंह के साथ प्रतिवादी संख्या 01 ईश्वरसिंह एवं वीरसिंह, रूपसिंह पिसरान बींजराजसिंह का नाम नामान्तकरण में दर्ज किया गया। तत्पश्चात बींजराजसिंह की दिनांक 07.01.2014 को मृत्यु हो गई, जिस पर नामान्तकरण संख्या 1131 दिनांक 20.04.2018 स्वीकृत किया गया, जिसके आधार पर बींजराजसिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 ईश्वरसिंह, प्रतिवादी संख्या 02 देसकंवर के नाम के साथ वादीगण खीमसिंह व कानसिंह का नाम भी दर्ज किया गया। बींजराजसिंह के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ही विधिक वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है। नामान्तकरण में दर्ज रूपसिंह का लगभग 25–30 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है तथा वीरसिंह नाम का कोई पुत्र बींजराजसिंह के नही था। उक्त नामान्तकरण संख्या 1036 दिनांक 04.08.1978 गलत होने से निरस्त योग्य है। लिहाजा उक्त नामान्तकरण शून्य एवं निष्प्रभावी करार देते हुए वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ईश्वरसिंह का नाम अतिरिक्त रूप से लिखा गया है, उसे व वीरसिंह व रूपसिंह का नाम पृथक करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से असालतन एवं वकालतन राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। वादीगण की और से साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए माफिक राजीनामा वाद डिकरी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी अवलोकन कियाग। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय बींजराजसिंह द्वारा दिनांक 17.06.1978 को तात्कालिक खातेदार भारमल, दामोदर वगैराह से जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रमांक 719/78 के क्रय की थी, जिसका पंजीयन दिनांक 29.07.1978 को किया गया। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1036 दिनांक 04.08.1978 को स्वीकृत किया गया, जिसमे बींजराजसिंह के साथ प्रतिवादी संख्या 01 ईश्वरसिंह एवं वीरसिंह, रूपसिंह पिसरान बींजराजसिंह का नाम नामान्तकरण में दर्ज किया गया। बींजराजसिंह का स्वर्गवास होने पर नामान्तकरण संख्या 1131 दिनांक 20.04.2018 स्वीकृत किया गया, जिसके आधार पर बींजराजसिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 ईश्वरसिंह, प्रतिवादी संख्या 02 देसकंवर के नाम के साथ वादीगण खीमसिंह व कानसिंह का नाम भी दर्ज किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार विक्रय विलेख बींजराजसिंह के नाम निष्पादित होने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 1036 दिनांक 04.08.1978 बींजराजसिंह के नाम के अतिरिक्त ईश्वरसिंह, रूपसिंह एवं वीरसिंह का नाम दर्ज किया गया, जो गलत है। रूपसिंह का देहान्त हो चुका है, वीरसिंह बींजराजसिंह का पुत्र नही है तथा ईश्वरसिंह का नाम दो बार दर्ज हुआ है। अतः नामान्तकरण संख्या 1131 दिनांक 20.04.1978 शून्य एवं निष्प्रभावी करार देते हुए उक्त वीरसिंह, ईश्वरसिंह एवं रूपसिंह का नाम पृथक कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी की घोषित कर प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान के खसरा संख्या 2200 रकबा 15.04 बीघा एवं खसरा संख्या 2199 रकबा 0.03 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 1131 दिनांक 20.04.1978 शून्य एवं निष्प्रभावी करार देते हुए उक्त वीरसिंह, ईश्वरसिंह एवं रूपसिंह का नाम पृथक कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी की घोषित कर प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
**सहायक कलक्टर**
**(एसडीओ) बाड़मेर**

निर्णय आज दिनांक 06/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

**सहायक कलक्टर**
**(एसडीओ) बाड़मेर**



Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 खीमसिंह 2 कानसिंह पिसरान बींजराजसिंह जाति राजपूत निवासी डीगड़ा बस्ती गादान बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 ईश्वरसिंह पुत्र बींजराजसिंह 2 देसकंवर पत्नी बींजराजसिंह जाति राजपूत निवासी डीगडा बस्ती गादान बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर। |

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 68 / 2018

निर्णय दिनांक :– 06/01/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06/01/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान के खसरा संख्या 2200 रकबा 15.04 बीघा एवं खसरा संख्या 2199 रकबा 0.03 बीघा भूमि में नामान्तकरण संख्या 1131 दिनांक 20.04.1978 शून्य एवं निष्प्रभावी करार देते हुए उक्त वीरसिंह, ईश्वरसिंह एवं रूपसिंह का नाम पृथक कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी की घोषित कर प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 06/01/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ), बाडमेर

## वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्सप | |
| 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 ......... रूपये प्र प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.03.02 13:10:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: